1	विभाग का नाम	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
2	योजना का नाम	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	ग्रामीण क्षेत्रो मे बढती बेरोजगारी का समाधान करने,ग्रामीण शिक्षितो का शहर की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव मे ही उपलब्ध कराने के ध्येय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो के व्यक्तिगत उद्यमियो को रू0 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैको के माध्यम से प्रदान की जाती है योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियो हेतु 4 प्रतिशत से अधिक,ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप मे उपलब्ध करायी जाती है।आरक्षित वर्ग के लाभार्थियो (अनुसूचित जाति,अनु जनजाति,पिछडा वर्ग,अल्पसंख्यक,विकलांग,महिलाये एंव भूतपूर्व सैनिक) को जिला योजना के अन्तर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप मे उपलब्ध करायी जाती है। व्यवसायिक बैको तथा ग्रामीण बैको द्वारा उनके सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित गॉव या ग्रामीण क्षेत्र स्थित हो ,नियतानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है जनपदो मे जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण मे खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत सभी पात्र उद्यमियो को सावधि ऋण /कार्यशील पूंजी सम्मिलित करते हुये रू0 10.00लाख तक के बैक ऋण पर ब्याज उपादान देय होता है सामान्य वर्ग के उद्यमियो द्वारा प्रोजक्ट लागत का 10 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचितजाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला/विकलांग/अल्पसंख्य/भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उद्यमियो को प्रोजक्ट लागत का 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा।
4	पात्रता की अर्हता	योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित वरीयता क्रम मे उद्यमियो को लाभान्वित किया जायेगा। 1.आई0टी0आई0व पॉलीटेक्निक संस्थाओ से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवको/नवयुवतियो को योजना मे प्राथमिकता दी जायेगी 2.शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो। 3.एस0जी0एस0वाई0तथा शासन की अन्या योजनाओ के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी। 4.परम्परागत कारीगर। 5.स्वयःरोजगार मे रूचि रखने वाली महिलाये। 6.व्यवसायिक शिक्षा (102) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण। 7.इस योजना के अन्तर्गत उन अभ्यार्थियो को भी शामिल किया जा सकता है जिन्होने रोजगार हेतु सेवायोजन कार्यालय मे अपना रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जिलो के सेवा योजन कार्यालय मे करा रखा है। 5.लाभार्थियो का चयन उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड /शासन द्वारा समय समय पर गठित चयन समिति द्वारा या जिले स्तर पर अन्य राज्य पुरोनिधनित योजना/योजनाओ हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/परगना अधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा चयनित उद्यमी ही इस योजना के पात्र होते है प्रत्येक दशा मे यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उद्यमी को ऋण लेने से पूर्व वांछित प्रशिक्षण प्राप्त हो और उसके पास स्वयं का अंशदान उपलब्ध हो,तथा यह मूल रूप से ग्राम का निवासी हो,अथवा ग्रामीण क्षेत्र मे अपना उद्योग लगाना चाहता हो। **लाभार्थियो के चयन के मापदण्ड** **1.**लाभार्थियो की आयु 18 वर्ष से कम नही,तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। 2. 50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग के लाभार्थी। 3.स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता का आंकलन करके चयनित व्यक्तियो के लिये ग्रामोद्योग इकाई निधारित की जाती है। 4.स्थानीय उपभोगताओ की दैनिक आवश्यकताओ की वस्तुओ के उत्पादन करने सम्बन्धी इकाईयॉ स्थापित करने मे वरीयता दी जायेगी।
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	योजना के प्रस्तर 4 के अन्तर्गत वर्णित पात्र उद्यमियों के ऋण प्रार्थना-पत्र विभिन्न संस्थाओं/उद्यमियों के व्यक्तिगत सम्पर्क/विभिन्न राजकीय विभागों व स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है। ऋण प्रार्थना पत्र यथा सम्भव बैंकों द्वारा निर्धारित प्रार्थना-पत्र पर लिया जाता है। यदि प्रार्थना-पत्र मिलने में असुविधा होती है तो बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत उद्यमियों के प्रार्थना पत्र प्रयोग में लाये जाते हैंए जिनसे बाद में बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया जाता है
6	लिंक वेबसाईट	http://www.kviconline.gov.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी अथवा परिक्षेत्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।